दिल्ली	1.67
लक्षद्वीप	1.78
पांडिचेरी	1.25

स्नोतः नमूना पंजीयन पद्धति

सरकार द्वारा केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान एवं विश्रायतन योगाश्रम का अधिग्रहण

3291. **श्री दिलीप सिंह जूदेव**: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान एवं विश्रायतन योगाश्रम, नई दिल्ली का अधिग्रहण कब एवं किन कारणों से किया गया है।

(ख) इन संस्थानों को केन्द्र सरकार द्वारा प्रति वर्ष कितनी धनराशि इनके अधिग्रहण के पूर्व तक प्रदान की गई थी;

(ग) इन संस्थानों के लेखाओं में जालसाजी करने एवं गंभीर वित्तीय अनियमिततायें करने कि कितने प्रकरण सामने आये हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है तथा उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं, जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है; और

(घ) इन दोनों संस्थानों में चलाये जा रहे कार्यक्रमों और उनकी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) केन्द्र सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए और कार्य-प्रबंध को समुचित बनाने के लिए 24.5.1977 को केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान और विश्वायतन योगाश्रम का संचालन अपने हाथ में ले लिया था।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान और विश्वायतन योगाश्रम के प्रबंध को अपने हाथ में लेने से पूर्व इन्हें प्रदान की गई निधियों का वर्षवार ब्यौरा संपग्र विवरण में दिय गया हा। (नीचे देखिये)

(ग) केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान और विश्वायतन योगाश्रम में धनराशि के समुपयोग में हुई अनियमितताओं एवं स्व. स्वामी धीरेन्द्र ब्रहमचारी द्वारा कार्य कुप्रबंध के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त होने के पश्चात इस मंत्रालय ने वर्ष 1986 में उन आरोपों की जांच पड़ताल के लिए दो जांच अधिकारी नियुक्त किए थे। जांच रिपोर्टों के आधार पर इस मंत्रालय ने 1.4.1990 से विश्वायतन योगाश्रम को अनुदान देना बंद कर दिया। चूंकि स्वामीजी की मृत्यु के पश्चात ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उनके जीवनकाल के दौरान केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान और विश्वायतन योगाश्रम के कार्यकरण के संबंध में उनके द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा दे सके, अतः यह निर्णय लिया गया हा कि जांच रिपोर्टों पर आगे कार्रवाई न की जाए।

(घ) केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान व्यक्तियों को योग प्रशिक्षण और विभिन्न रोगों से ग्रस्त रोगियों को योग चिकित्सा प्रदान करता है जबकि विश्वायतन योगाश्रम संस्थान के परिसर में लोगों को केवल योग प्रशिक्षण प्रदान करता है। चूंकि ये संस्थान इस समय अपने कार्यों का निर्वाह प्रभावशाली रूप में नहीं कर रहे हैं, इन संस्थानों की परिसंपतियों का उपयोग करके एक राष्ट्रीय योग संस्थान की स्थापना करने के प्रयास प्रारंभ किए गए है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान और विश्वायतन आश्रम का प्रबंध अपने हाथ में लेने से पूर्व इन संस्थाओं को प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा।

	संस्थान का नाम	वर्ष	धनराशि (लाख रुपये)
1	केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान	1975-76	3.40
		1976-77	7.08
2	विश्वायतन योगाश्रम	1957-58	0.20
		1958-59	0.50
		1959-60	0.70
		1960-60	0.20
		1961-61	0.92
		1962-63	0.27
		1963-64	0.53
		1965-66	0.31
		1966-67	

संस्थान का नाम	वर्ष	धनराशि (लाख रुपये)
2 विश्वायतन योगाश्रम	1967-68	0.76
	1968-69	0.56
	1969-70	0.84
	1970-71	1.44
	1971-72	0.96
	1972-73	0.93
	1973-74	0.80
	1974-75	1.20
	1975-76	1.73
	1976-77	2.34

Providing laboratory Facilities for Urine, Blood Testing etc. in CGHS Dispensaries

3292. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE; be pleased to state:

(a) whether Government propose to provide Laboratory facilities for urine, stool and blood testing etc. particularly in such of the CGHS dispensaries in Delhi as are located at places more than 10 kms. away from the Government hospitals, for the convenience of the CGHS beneficiaries as particularly the aged, women and children keeping in view the travails of transport, congestion and high degree of pollution; and

(b) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI RAMAKANT D. KHALAP) (a) and (b) The laboratories testing facilities for urine, stool, blood etc. are available in 37 CGHS dispensaries located in different areas of Delhi. The dispensaries, where such facilities arc not available, have been attached with the aforesaid dispensaries for getting done the required investigations. Besides a number of private diagnostic centres have also been recognised under CGHS where these facilities can be availed by the CGHS beneficiaries, with reimbursement restricted to approved Government rates.

Poor conditions of Ambulances

3293. SHRI RAGHAVJI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1743 given in the Rajya Sabha on the 11th March, 1997 and states:

(a) whether most of the ambulances are out of order;

(b) whether Some ambulances which are in working order are working for the Administrative Staff of Hospitals; and

(c) if so, what action Government propose to take in this matter?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI RAMAKANT D. KHALAP) (a) No, Sir. Most of the ambulances are in working condition.

(b) Ambulances are mainly used for patients. Staff cars are available for administrative duties.

(c) Does not arise.

Harmful effects of spices, etc. packed in plastic packages

3294. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether pickles, chillipowder, spices etc., packed in plastic packages are CARCINO genous owing to chemical reactions in the packaging causing harm to health; and

(b) if so, the steps taken to ban use of plastic bags for such use?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI RAMAKANT D. KHALAP) (a) Plastic bags for food